संख्या-385/53-2-2026-कं0सं0-1671811

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18-06-2026

विषय:- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया दुग्ध आयुक्त/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के पत्रांक-65-66/एस0पी0एम0यू0/मिनी(61)/2026-27, दिनांक 09 जून, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-929/53-2-2024, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-929/53-2-2024, दिनांक 23 अक्टूबर,2024 में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4(ix)	--	योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत महिला पशुपालकों/

		दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जाएगा।
4(x)	--	चयनित लाभार्थी द्वारा चयन पत्र प्राप्त होने के 02 माह के भीतर बैंक ऋण स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त लाभार्थी का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जाएगा।
5(v)	इसके अतिरिक्त लगभग 0.80 एकड़ (34848 वर्ग फुट) भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक /साझेदारी अथवा न्यूनतम 0 7 वर्षो के लिए पंजीकृत अनुबंध/किरायेनामें पर ली गयी हो तथा भूमि परियोजनान्तर्गत चारा उत्पादन के लिए अनुकूल हो। जल भराव वाली अथवा ऊसर भूमि जो चारा उत्पादन के अनुकूल न हो, अनुमन्य नहीं होगी।	लाभार्थी से पर्याप्त हरे चारे के प्रबन्धन एवं वर्ष पर्यन्त स्थानीय स्तर पर चारा कृषकों/आपूर्तिकर्ताओं से अनुबन्ध के माध्यम से चारा उपलब्धता के सम्बन्ध में एफिडेविट प्राप्त किया जायेगा।
7	लाभार्थी का चयन आवेदन हेतु निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अथवा ऑफ़लाईन मोड से प्राप्त उपर्युक्त आवेदन पत्रों से किया जाएगा। परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाए गए आवेदन-पत्रों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। जनपद स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा- 1- मुख्य विकास अधिकारी -अध्यक्ष 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी -संयोजक सचिव 3- लीड बैंक आफिसर - सदस्य 4-उप दुग्धशाला विकास अधिकारी -सदस्य	लाभार्थी का चयन आवेदन हेतु निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अथवा आफलाईन मोड से प्राप्त उपर्युक्त आवेदन पत्रों से किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। जनपद स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा- 1- मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष 2-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी –संयोजक सचिव 3- डी0डी0एम0, नाबार्ड - सदस्य 4- लीड बैंक आफिसर - सदस्य 5- उप दुग्धशाला विकास अधिकारी – सदस्य
9(i)	इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश, बैंक ऋण द्वारा तथा अनुदान परियोजना लागत का क्रमशः 15 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा।	इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश, बैंक द्वारा ऋण तथा अनुदान, परियोजना लागत का क्रमशः 1 5 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा अथवा बैंक ऋण के स्थान पर यदि लाभार्थी, स्वयं के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन/धनराशि से इकाई स्थापना करना चाहता है तो तत्समय लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि

		उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए लाभार्थी से न्यूनतम छः माह का बैंक स्टेटमेन्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त की जायेगी।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 18-06-2026 15:22:00

(मुकेश कुमार मिश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-385(1)/53-2-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAM SAHAY YADAV
Date: 18-06-2026
15:33:23

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।